सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 107 / 18 — निर्णय दिनांकः—26—08—2019

1.	भागीरथ	पिसरान देवचन्द जाति जाट निवासी ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2.	जगदीश	
3.	हंसराज	
4.	रामप्रताप	

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 13—03—2000
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री जयदयाल शर्मा, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 13—03—2000 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को तहसील कोलायत के चक 17 पीएसडी के मुरब्बा नम्बर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4/14 में 16 बीघा कमाण्ड व 09 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन दिनांक 14—01—1991 को किया गया था। आवंटन पश्चात् अपीलांट द्वारा तमाम किश्तें जमा करवा दी गई तथा अपीलांट को आवंटन पश्चात् वादगत् भूमि का कब्जा भी प्रदान कर दिया गया था। उक्त स्थिति पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज कर दिया गया। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है।

उन्होनें आगे बताया कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत आदेश होने के कारण निरस्त योग्य आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश रिकार्ड का अवलोकन किये बिना पत्र कमांक 1492 दिनांक 13—03—2000 के आधार पर खारिज किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपने स्तर पर कोई नोटिस व सूचना अपीलांट को नहीं दी गई है। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि की सम्पूर्ण किश्तें जमा करवाने के उपरान्त भी अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13—03—2000 के विरूद्व अपील दिनांक 20—02—18 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में परीक्षण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को सीपीसी के आदेश 41 नियम 13 (2) के हवाले से मूल पत्रावली भिजवाने की अपेक्षा की गई। परीक्षण न्यायालय द्वारा गत् 02 वर्षो के दौरान बार–बार स्मरण पत्र जारी करने के बावजूद पत्रावली एवं संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्धनहीं कराये गये। पक्षकार ने संभावना जाहिर की है कि अपील प्रस्तुत करने के उद्वेश्य को निष्फल करने के लिये परीक्षण न्यायालय के कार्मिकों ने मूल दस्तावोज गायब कर दिये है। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली हेतु बार–बार तलबी जारी होने के उपरान्त पत्रावली उपलब्ध नहीं करवना उक्त संभावनाओं की पुष्टि करता है। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणित प्रतियों पर विश्वास करते हुए अपील का निस्तारण करने के अलावा अपील न्यायालय के पास कोई विकल्प नहीं है। अतः प्रस्तुत अपील में अपीलांट द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर इस अपील का निस्तारण किया जा रहा है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 13–03–2000 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 20–02–2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में बिना नोटिस अथवा सूचना दिये खारिज किया गया है जबकि पत्रावली के साथ संलग्न सेल रजिस्टर की पुश्त पर किश्तें निरन्तर जमा करवाये जाने का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के शपथ पत्र

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 14–01–1991 को अपीलांट के पक्ष में आवंटन आदेश जारी किया गया। सेल रजिस्टर में वर्ष 1991 से 1994 तक किश्तें जमा होने का उल्लेख है। दिनांक 06–01–2000 को सेल रजिस्टर में ''एसीसी आदेशांक 1492 दिनांक 13–03–2000 द्वारा किश्तों के अभाव में खारिज'' का नोट लगाया गया। जब किश्तें लगातार जमा हो रही थी तो खारिज का नोट लगाया जाना मनमाना कार्यवाही है। खारिजी आदेश अस्पष्ट है। अपीलांट द्वारा लगातार किश्तें जमा करवाने के उपरान्त मनमाने पूर्ण तरीके से एक लाईन के आदेश से आवंटन खारिज करना अविवेकपूर्ण कार्यवाही है। उक्त कार्यवाही से पूर्व अपीलांट/आवंटी को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया तथा उसकी पीठ पीछे आदेश पारित कर दिया गया तथा उक्त आदेश की सूचना भी आवंटी को नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं आता है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13–03–2000 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मौके पर अपीलांट का कब्जा है तो बकाया राशि जमा करवाकर आवंटन बहाल किया जाकर खातेदारी सनद् जारी करें। अन्यथा पात्रता अनुसार अन्यत्र आवंटन किया जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 26–08–2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर